कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमती इन्दु चौधरी व्याख्याता, इतिहास डॉ. पदमचन्द बिलम कँवर गाँधी राउमावि रेजीडेन्सी रोड. जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि चाँदरख,जोधपुर किया गया । श्रीमती इन्दु चौधरी द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15223/2019 इन्दु चौधरी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15223/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.19 द्वारा याचिकार्थीया श्रीमती इन्दु चौधरी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थीया के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थीया के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थीया श्रीमती इन्दू चौधरी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विदेश यात्रा (संयुक्त राज्य अमेरिका) भ्रमण दिनांक 11.09.2019 से 28.11.2019 तक एवं सेवानिवृति में दस माह शेष रहने के आधार पर स्थानान्तरण निरस्त करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थीया से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। याचिकार्थीया का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है की लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं कि जा सकती। अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थीया द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उक्त स्थाननान्तरण के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के मध्यनजर याचिकार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में इच्छित स्थान हेतु पदस्थापन का चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः अभ्यावेदन अस्वीकृत कर खारिज किया जाता है एवं श्रीमती इन्दु चौधरी को निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हों तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिवरि–माध्य/संस्था/सी 2/विदेश–अनुज्ञा/इति वाणि/2019–20 दिनांक 23.05.2019 के

अनुसार दिनांक 01.10.2019 से 30.11.2019 तक विदेश यात्रा भ्रमण की अवधि पश्चात अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि चाँदरख,जोधपुर में व्याख्याता के पद पर आगामी उपस्थिति प्रदान कर इस कार्यालय को अवगत करावें, इसके विपरित स्थिति उत्पन्न होने पर इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी संबंधित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी-2/अभ्यावेदन/इन्दु चौधरी/को.के/18-19 दिनांकः-24/10/2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती इन्दु चौधरी के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग-प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि. डॉ. पदमचन्द बिलम कँवर गाँधी राउमावि रेजीडेन्सी रोड. जोधपुर /राउमावि चाँदरख,जोधपुर।
9. कार्मिक इन्दु चौधरी व्या0 इतिहास राउमावि डॉ. पदमचन्द बिलम कँवर गाँधी राउमावि रेजीडेन्सी रोड. जोधपुर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर